ए.

वर्शा गर्ग

बनाम

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ओआरएस। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1021)

बी.

अगस्त 08,2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।91, 311 – डिकोडिंग रजिस्टरों को पेश करने और सेलुलर कंपनियों के गवाहों को बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदनों को खारिज करने के लिए चुनौती-आयोजितः डिकोडिंग रजिस्टर अभियुक्त के स्थान और सेल फोन टावर के बीच सह-संबंध स्थापित करने के लिए सबूत का एक प्रासंगिक टुकड़ा है-किसी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए समन।91 जारी किया जा सकता है जहां न्यायालय को लगता है कि दस्तावेज़ या चीज़ का उत्पादन सीआरपीसी-पावर यू/एस के तहत "किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय है"।311 गवाह को बुलाने के लिए यह शर्त लगाई जाती है कि जिस व्यक्ति को बुलाने की मांग की गई है, उसका साक्ष्य न्यायालय में मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है-तत्काल मामले में, सेलुलर कंपनियों के नोडल अधिकारियों की जांच की गई, उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर द्वारा किए गए कॉल का स्थान कोड द्वारा दिखाया गया है और स्थान को डिकोड करके बताया जा सकता है-इसलिए, डिकोडिंग रजिस्टर प्रासंगिक है-यह सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है-रजिस्टर पेश करने के उद्देश्य से गवाह को बुलाना आवश्यक था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** वर्तमान मामले में**,** डिकोडिंग रजिस्टरों के उत्पादन के लिए अभियोजन पक्ष का आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **91** के प्रावधानों से संबंधित है। डिकोडिंग रजिस्टरों को उन सेलुलर कंपनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्तुत करने की मांग की जाती है जिनकी हिरासत या कब्जे में वे पाए जाते हैं।डिकोडिंग रजिस्टर अभियुक्त के स्थान और सेल फोन टावर के बीच सह**-**संबंध स्थापित करने के लिए सबूत का एक प्रासंगिक टुकड़ा हैं।आवेदन को खारिज करने में उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के साथ जिन कारणों का वजन किया गया है**,** वे उस शक्ति के लिए बाहरी हैं जो इसके तहत प्रदान की गई है।

जी.

एच.

150 ए.

151

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स।

एक ओर धारा **91** और दूसरी ओर धारा **311**।धारा **91** के तहत किसी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ को पेश करने के लिए समन जारी किया जा सकता है जहां न्यायालय को लगता है कि दस्तावेज़ या चीज़ का उत्पादन सीआरपीसी के तहत किसी भी जांच**,** मुकदमे या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य से आवश्यक या वांछनीय है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है**,** धारा **311** के तहत एक गवाह को बुलाने की शक्ति इस आवश्यकता से सशर्त है कि जिस व्यक्ति को बुलाने की मांग की गई है**,** उसका साक्ष्य न्यायालय को मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।**[**पैरा **35] [166-**सी**-**डी**; 167-**ए**-**बी**]2.** डिकोडिंग रजिस्टर की प्रासंगिकता पीडब्लू**-41** के कथन से सामने आती है।इसलिए**,** अभियोजन पक्ष के डिकोडिंग रजिस्टर को पेश करने के प्रयास में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी**,** जो एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण साक्ष्य है।धारा **311** के प्रावधानों के संदर्भ में**,** मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए डिकोडिंग रजिस्टर पेश करने के उद्देश्य से गवाह को बुलाना आवश्यक था।**[**पैरा **37] [167-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

3. धारा **311** की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर विचार करने के बाद**,** हम उत्तरदाताओं की इस आपत्ति पर विचार करते हैं कि आवेदन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे अभियोजन पक्ष के मामले की खामियों को पूरा किया जा सकेगा।हालाँकि**,** उक्त कारण भी धारा

311 के तहत आवेदन की अनुमति देने के लिए एक पूर्ण अवरोध नहीं हो सकता है।**[**पैरा **38] [167-**जी**-**एच**]**

ई.

4. अभियुक्त का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद **21** के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित है।हालांकि**,** मीना ललिता बरुआ मामले में**,** राजेंद्र प्रसाद को दोहराते हुए**,** न्यायालय ने कहा कि यह आपराधिक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियोजन पक्ष को न्याय के हित में किसी त्रुटि को सुधारने की अनुमति दे।वर्तमान मामले में**,** पी**.** डब्ल्यू**.-**की परीक्षा में डिकोडिंग रजिस्टरों का महत्व उठाया गया था।**41.** तदनुसार**,** डिकोडिंग रजिस्टर केवल कॉल विवरण के रूप में मौजूदा साक्ष्य की सराहना करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज हैं जो पहले से ही रिकॉर्ड में हैं**,** लेकिन आरोपी के स्थान को इंगित करने के लिए कोड का उपयोग करते हैं**,** एक महत्वपूर्ण विवरण**,** जिसे केवल डिकोडिंग रजिस्टरों के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है**,** निष्पक्ष मुकदमे के लिए आरोपी का अधिकार पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है।डिकोडिंग रजिस्टरों का उत्पादन प्रासंगिक सामग्री होने की आवश्यकता में फिट बैठता है जिसे अनजाने में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।**[**पैरा **40] [168-**एफ**; 169-**सी**]**

एफ.

जी.

एच.

ए.

5. उपरोक्त कारणों से**,** यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उच्च न्यायालय का निर्णय जो अपील में विवादित है**,** अस्थिर है।अभियोजन पक्ष द्वारा डिकोडिंग रजिस्टरों को पेश करने और उस उद्देश्य के लिए सेलुलर कंपनियों के गवाहों को बुलाने के लिए दायर आवेदन की अनुमति है।**[**पैरा **44] [173-**सी**,** डी**-**ई**]**

बी.

ज़हिरा हबीबुल्ला एच**.** शेख बनाम गुजरात राज्य **(2004)**

4 एससीसी 158:[2004] 3 एस. सी. आर. 1050; राजेन्द्र प्रसाद बनाम

स्वापक प्रकोष्ठ (1999) 6 एस. सी. सी. 110; रामेश्वर दयाल बनाम.

उत्तर प्रदेश राज्य (1978) 2 एस. सी. सी. 518:[1978] 3 एससीआर 59;

मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ **(1991) 1** पूरक

सी.

एससीसी **271:[1991] 1** एस**.** सी**.** आर**. 712-**पर निर्भर।

शिव कुमार बनाम हुकुम चंद **(1999) 7** एससीसी **467:[1999] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 81** और धारीवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामकिशोर

वधवान (2016) 10 एस. सी. सी. 378:[2016] 5 एससीआर 212-प्रतिष्ठित।

डी.

स्वपन कुमार चटर्जी बनाम केंद्रीय ब्यूरो

जाँच (2019) 14 एस. सी. सी. 328:[2019] 3 एससीआर 713;

मीना ललिता बरुआ बनाम उड़ीसा राज्य **(2013) 16** एस**.** सी**.** सी**.**

173 :[2013] 16 एससीआर 788; जे. के. इंटरनेशनल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) (2001) 3 एस. सी. सी. 462:[2001] 2

ई.

एस**.** सी**.** आर**. 90;** मनु शर्मा बनाम राज्य **(**दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**) (2010)**

6 एससीसी 1:[2010] 4 एससीआर 103; राज्य डब्ल्यू. बी. बनामतुलसीदास मुंद्रा (1963) 1 पूरक।एस. सी. आर. 1; जमातराज केवलजी

गोवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1967) 3** एस**.** सी**.** आर**. 415;** मसाला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। **(1964) 8** एस**.** सी**.** आर**. 133;** राजेश्वर प्रसाद मिश्रा बनाम राज्य डब्ल्यू**.** बी**. (1966) 1** एससीआर **178;** आर**.** बी**.** मिथानी बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1971) 1** एस**.** सी**.** सी**. 523;** ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख **(5)** बनाम गुजरात राज्य **(2006)**

एफ.

3 एससीसी 374:[2006] 2 एससीआर 1081; गोदरेज पैसिफिक टेक।

लिमिटेड वी**.**कंप्यूटर ज्वाइंट इंडिया लिमिटेड **(2008) 11** एस**.** सी**.** सी**. 108: [2008] 11** एससीआर **571;** करनेल सिंह बनाम एम**.** पी**.** राज्य **(1995)**

जी.

5 एससीसी 518:[1995] 2 पूरक।एस. सी. आर. 629; पारस यादव बनाम बिहार राज्य (1999) 2 एस. सी. सी. 126:[1999] 1 एससीआर 55;

राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य **(1998) 4** एससीसी **517:[1998] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1097;** अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह

(2003) 2 एससीसी **518:[2003] 1** एस**.** सी**.** आर**. 754-**संदर्भित।

एच.

153

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स।

ए.

संदर्भित निर्णय

[2019] 3 एससीआर **713**

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

[1999] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 81** विशिष्ट पैरा **21 [2016] 5** एस**.** सी**.** आर**. 212**

विशिष्ट पैरा **21**

बी.

[2013] 16 एससीआर **788**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[2001] 2 एससीआर **90**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[2004] 3 एससीआर **1050**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **25**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[2010] 4 एससीआर **103**

सी.

[1991] 1 एससीआर **712**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **25**

[1978] 3 एससीआर **59**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **31**

[2006] 2 एससीआर **1081**

संदर्भित किया गया है

पैरा **38**

[2008] 11 एससीआर **571**

संदर्भित किया गया है

पैरा **38**

डी.

[1995] 2 पूरक।एससीआर **629**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

[1999] 1 एससीआर **55**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

[1998] 2 एससीआर **1097**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

[2003] 1 एससीआर **754**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1021।

विविध क्षेत्रों में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.04.2022 के निर्णय और आदेश से।2021 का आपराधिक मामला संख्या 57152।

एफ.

के साथ

2022 की एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 2239 में 2022 की एम. ए. संख्या 1144।

रामकृष्णन विराराघवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. कृष्ण कुमार, प्रीतम शाह, सुश्री शशि किरण, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जी.

एस. के. गंगेले, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीयश यू. ललित, पशुपति नाथ राजदान, मिर्जा कायेश बेग, प्रखर श्रीवास्तव, सुश्री आयुषी मित्तल, सुश्री प्रिया शर्मा, प्रथवी राज चौहान, सुश्री रितु गंगेले, अरूप बनर्जी, सुश्री बांसुरी स्वराज, सिद्धेश कटवाल, सुश्री मान्या हसीजा, विक्रम दुबे, सुश्री अना उपाध्याय, आकाश सिंह, निहार धर्माधिकारी, निर्नीमेश दुबे, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

ए.

अदालत के प्रस्ताव द्वारा

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के एकल न्यायाधीश ने 8 अप्रैल 2022 के एक फैसले द्वारा अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।2021 का आपराधिक मामला संख्या 57152।

बी.

2. याचिका में आरोपी विकास, मंगीलाल और सुरेश के मोबाइल लोकेशन का पता लगाने के लिए डिकोडिंग रजिस्टर के साथ कुछ सेलुलर संस्थाओं के नोडल अधिकारियों को बुलाने की मांग करने वाले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन को खारिज करने वाले दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर के 13 नवंबर 2021 के आदेश की शुद्धता को चुनौती दी गई है।

सी.

3. अपीलार्थी एक वकील की पत्नी है जिसकी 18 नवंबर 2015 को लगभग 2330 बजे उसके कार्यालय के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।हत्या के बाद, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 सहपठित दंडनीय अपराध के लिए 19 नवंबर 2015 को पुलिस स्टेशन 2 महू, जिला इंदौर में 2015 की आपराधिक शिकायत संख्या 734 वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच शुरू कर दी गई।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने संकेत दिया कि हत्या बंदूक की चोट के कारण हुई थी।दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे उत्तरदाताओं (यानी विकास, सावन, मंगीलाल, सुरेश और राजू) को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

डी.

ई.

4. 15 फरवरी 2016 को जाँच के बाद एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।20 नवंबर 2016 को एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।यह मामला दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इंदौर की न्यायालय को सौंपा गया है और 2016 के सत्र परीक्षण 227 के रूप में दर्ज किया गया था।

एफ.

5. पूरक आरोप-पत्र के संलग्नकों में कुछ सेलुलर कंपनियों के नोडल अधिकारियों के 11 जनवरी 2016 के प्रमाण पत्र थे, अर्थात्:

जी.

(i) एयरटेल का 11 जनवरी 2016 का प्रमाण पत्र;

1 ‘‘ सी. आर. पी. सी. "2" पी. एस. "3" आई. पी. सी. "ए

एच.

155

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

((ii) रिलायंस का 18 जनवरी 2016 का प्रमाण पत्र; (iii) आइडिया का 30 मार्च 2016 का प्रमाण पत्र; (iv) वोडाफोन का 6 जून 2016 का प्रमाण पत्र।

मुकदमे में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू होने पर, आइडिया (पीडब्लू33), एयरटेल (पीडब्लू41), रिलायंस (पीडब्लू43) और वोडाफोन (पीडब्लू48) के नोडल अधिकारियों से 17 नवंबर 2017,7 मई 2018,17 जुलाई 2018 और 31 अक्टूबर 2018 को पूछताछ की गई। फरवरी 2016 और अप्रैल 2017 के बीच स्टेशन हाउस ऑफिसर 4, पी. एस. महू से अभियोजन पक्ष द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को पी. डब्ल्यू. 47 के रूप में पूछताछ की गई थी। पीडब्लू47 ने पूरक आरोप पत्र दायर किया था और सह-अभियुक्त के कॉल विवरण के साथ एक कॉम्पैक्ट डिस्क 5 तैयार की थी।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने सीडी के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 6 की धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया था।

बी.

सी.

6. अभियुक्त सुरेश (पाँचवाँ प्रतिवादी) और मंगीलाल (चौथा प्रतिवादी) के बयान क्रमशः 25 जनवरी 2020 और 12 फरवरी 2020 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए थे।मुकदमे के दौरान, सीडी को पेश किया गया था, लेकिन चूंकि यह 'भ्रष्ट' पाया गया था, इसलिए पुलिस स्टेशन में उपलब्ध सीडी की प्रति की मांग करने के लिए निचली विचारण न्यायालय में एक आवेदन किया गया था।15 नवंबर 2019 को आवेदन की अनुमति दी गई थी। बाद की तारीख को, पीडब्लू 47 ने उनकी उपस्थिति को चिह्नित किया।सुनवाई की अगली तारीख को, जब पीडब्लू 47 को पुलिस स्टेशन में रखी गई सीडी पेश करने की आवश्यकता थी, तो वह ऐसा करने में विफल रहे।उन परिस्थितियों में, उक्त सीडी की मांग के लिए एक आवेदन ("पहला आवेदन") को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन इस आवेदन को निचली विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पीडब्लू 47 का साक्ष्य दर्ज कर लिया गया था और उसे सीडी पेश करने का अंतिम अवसर पहले ही दिया जा चुका था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 2 मार्च 2020 को निचली विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि सीडी सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा था और आरोप पत्र के साथ सभी अभियुक्तों को प्रदान किया गया था। नतीजतन, निचली विचारण न्यायालय को पुलिस स्टेशन के माध्यम से सीडी की मांग करने और इसे पीडब्लू 47 से रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

7. 15 मार्च 2021 को, डिकोडिंग रजिस्टर को बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से धारा 311 के तहत एक और आवेदन ("दूसरा आवेदन") दायर किया गया था।

8. 5 जुलाई 2021 को, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन ("तीसरा आवेदन") दायर किया जिसमें कहा गया था कि अदालत ने अपने पिछले आवेदन को स्वीकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत सीडी और एक प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में लिया था।तीसरा आवेदन दायर करके, अभियोजन पक्ष ने प्रमाण पत्र जारीकर्ता को बुलाने और प्रमाण पत्र को साबित करने के लिए उक्त गवाह से पूछताछ करने की अनुमति मांगी।

बी.

9. 16 जुलाई 2021 को, अभियोजन पक्ष ("चौथा आवेदन") द्वारा धारा 311 के तहत आइडिया के नोडल अधिकारी को बुलाने और धारा 91 के तहत दो मोबाइल नंबरों के कॉल डेटा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।

सी.

10. 22 सितंबर 2021 को निचली विचारण न्यायालय ने तीसरे आवेदन को स्वीकार कर लिया लेकिन चौथे आवेदन को खारिज कर दिया।निचली विचारण न्यायालय के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

डी.

11. इस बीच, निचली विचारण न्यायालय ने 13 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा दूसरे आवेदन को भी खारिज कर दिया।निचली विचारण न्यायालय ने 13 नवंबर 2021 के अपने आदेश में डिकोडिंग रजिस्टर पेश करने के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि -

ई.

(i) वह दस्तावेज़ जिसे अभियोजन पक्ष बुलाना चाहता था, वह जाँच का हिस्सा नहीं है; और

((ii) जाँच के दौरान दस्तावेज़ प्राप्त नहीं किया गया है।

एफ.

नतीजतन, उसी तारीख को, निचली विचारण न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद हो गए थे।अपीलार्थी ने निचली विचारण न्यायालय के इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उसके अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया। 8 अप्रैल 2022 को विविध मामलों में इस याचिका को खारिज करते हुए।2021 का आपराधिक मामला संख्या 57152, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि

जी.

उ. डिकोडिंग रजिस्टर केस डायरी या आरोप पत्र का हिस्सा नहीं हैं।

B. अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य को बंद कर दिया है; और ए

एच.

157

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ग. आवेदन को सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र किए बिना देर से दायर किया गया है (उदाहरण के लिए, क्या डिकोडिंग रजिस्टर सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध है या नहीं)।

12. अलग से, उसी तारीख यानी 8 अप्रैल 2022 को, उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य 7 द्वारा स्थापित धारा 482 के तहत और अपीलार्थी 8 द्वारा 22 सितंबर 2021 के निचली विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दो कार्यवाही का भी निपटारा किया, जिसमें दस्तावेजों को बुलाने के लिए धारा 91 सीआरपीसी के तहत चौथे आवेदन को खारिज कर दिया गया था।एकल न्यायाधीश ने कहा कि धारा 91 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा दो मोबाइल नंबरों के सी. डी. आर. और सी. ए. एफ. को इस आधार पर बुलाने के लिए आवेदन दायर किया गया था कि वे आरोपी सावन के अपराध को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण थे।उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि एयरटेल के नोडल अधिकारी पीडब्लू41 ने विशेष रूप से बयान दिया था कि उन्होंने 11 जनवरी 2016 (प्रदर्शनी पी/103) के एक पत्र के साथ मोबाइल नंबरों के कॉल विवरण एसडीओपी को अग्रेषित किए थे, लेकिन इन्हें आरोप पत्र के साथ दायर नहीं किया गया था।हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि ये दस्तावेज केस डायरी में उपलब्ध थे, इसलिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 91 के तहत प्रदर्शित किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष और अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार करते हुए, एकल न्यायाधीश ने निचली विचारण न्यायालय के उस आदेश अपास्त करना कर दिया जिसने दस्तावेजों को बुलाने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया था और निचली विचारण न्यायालय को आवेदन पर परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

13. हालाँकि यह विविध मामलों में 8 अप्रैल 2022 का उच्च न्यायालय का दूसरा फैसला है। 2021 का आपराधिक मामला संख्या 57152 जिसका पहले उल्लेख किया गया था, जिसने अपीलार्थी द्वारा धारा 482 के तहत 13 नवंबर 2021 के ट्रायल जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दूसरे आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिस पर इन कार्यवाही में सवाल उठाया गया था।

एफ.

14. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रामकृष्णन विराराघवन को सुना है।मध्य प्रदेश राज्य के वकील श्रीयश यू ललित ने अपील में प्रस्तुतियों का समर्थन किया है।

15. श्री एस. के. गंगेले, वरिष्ठ वकील, दूसरे, तीसरे और छठे उत्तरदाताओं की ओर से पेश होते हैं जबकि सुश्री बांसुरी स्वराज, चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं की ओर से पेश होती हैं।

जी.

7 2021 की एम. सी. आर. सी. संख्या 61600 8 2021 की एम. सी. आर. सी. संख्या 51642

एच.

158

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 13 एस सी आर।

16. अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ वकील श्री रामकृष्णन विराराघवन और मध्य प्रदेश राज्य के वकील श्री श्रीयश यू ललित द्वारा जो निवेदन किया गया है, वह नीचे दिया गया है:(i) अभियुक्त के स्थान और सेल फोन टावर के बीच सह-संबंध स्थापित करने के लिए डिकोडिंग रजिस्टर का उत्पादन महत्वपूर्ण है;

बी.

((ii) अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य को बंद करने से पहले आवेदन दायर किया गया था और आवेदन की अस्वीकृति के बाद ही दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 30 नवंबर 2022 के आदेश में दर्ज किया गया था कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य बंद हो गया था।

सी.

((ग) किसी भी स्थिति में, साक्ष्य बंद होने के बाद भी धारा 311 के तहत आवेदन दायर करने पर कोई कानूनी रोक नहीं थी।

((iv) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के प्रावधानों के तहत डिकोडिंग रजिस्टर का उत्पादन करने की मांग की गई थी, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 से स्वतंत्र है; और

डी.

(v) अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह का कोई तत्व नहीं है क्योंकि पूरक आरोप पत्र के संलग्नक विशेष रूप से सेलुलर कंपनियों के नोडल अधिकारियों के प्रमाण पत्रों को संदर्भित करते हैं।

ई.

17. दूसरे, तीसरे और छठे उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री एस. के. गंगेले ने आग्रह किया है किः

(i) धारा 301 सी. आर. पी. सी. में निहित बाधा को देखते हुए, यह अपीलार्थी के लिए खुला नहीं है जो इन कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने के लिए मृतक का जीवनसाथी है;

एफ.

(ii) नोडल अधिकारियों की 7 मई 2018,17 जुलाई 2018 और 31 अक्टूबर 2019 को पहले ही जांच की जा चुकी है।

(iii) गवाहों द्वारा स्थानों का उल्लेख किया गया है; और (iv) सभी प्रासंगिक दस्तावेज पहले से ही रिकॉर्ड में हैं।

जी.

18. उत्तरदाता चार और पाँच की ओर से पेश वकील सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा किः

(i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा चार आवेदन प्रस्तुत किए गए थे।

एच.

((ख) 53 गवाहों से पूछताछ की गई है।

(iii) मुकदमे में अंतिम दलीलों को 25 जुलाई 2022 को संबोधित किया जाना है।

((iv) स्वपन कुमार मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए

चटर्जी बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 9

बी.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहांः

ए। यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है; या

बी। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बहुत पहले बंद कर दिया गया था।(v) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बहुत पहले बंद कर दिया गया था;

सी.

(vi) गवाहों से पहले पूछताछ न करने के कारण संतोषजनक नहीं हैं।

((vii) अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और वे साढ़े छह साल से अधिक समय से विचाराधीन हिरासत में हैं; और

डी.

(viii) त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है जो अभियुक्त के लिए निष्पक्षता को अनिवार्य करता है।19. तदनुसार, यह आग्रह किया गया कि नोडल अधिकारियों की जाँच 2017-2018 में की गई थी, सीडी को पहले ही रिकॉर्ड में लाया जा चुका है और दोनों न्यायालयों ने धारा 311 के तहत आवेदन को समवर्ती रूप से खारिज कर दिया है, न्याय संतुलन को अभियुक्त के पक्ष में तौलना चाहिए।

ई.

20. सबसे पहले, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 में बार के संबंध में उत्तरदाताओं की आपत्ति पर विचार करते हैं, जिसके आधार पर यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी जो मृतक का जीवनसाथी है, इन कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने के लिए खुला नहीं है।

एफ.

21. उत्तरदाताओं ने शिव कुमार के फैसलों पर भरोसा किया है।

v. हुकुम चंद 10 और धारीवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड v.किशोर

वाधवानी 11 अपने तर्क को आगे बढ़ाने के लिए।हालाँकि, ये दोनों मामले इस न्यायालय से संबंधित हैं जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 में विशिष्ट प्रतिबंध पर भरोसा करके सत्र परीक्षण में लोक अभियोजक के बजाय निजी वकील को अभियोजन चलाने से इनकार कर दिया था। तदनुसार, इन मामलों को वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है।वर्तमान मामले में,

जी.

9 (2019) 14 एससीसी 328 10 (1999) 7 एससीसी 467 11 (2016) 10 एससीसी 378

एच.

यहां तक कि सत्र मुकदमे में धारा 311 के तहत आवेदन भी राज्य द्वारा दायर किया गया था और अपीलार्थी के मुकदमे में लोक अभियोजक को बदलने की इच्छा का कोई सवाल ही नहीं है।

22. दूसरी ओर, मीना ललिता बरुआ बनाम उड़ीसा राज्य 12 में, अपीलार्थी पर उन हमलावरों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था जिन्हें सत्र मुकदमे में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था।अभि. साक्षी 18 एक उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट थे जिनके समक्ष परीक्षण पहचान परेड 13 आयोजित की गई थी।अभि. साक्षी 18 ने कार्यवाही को निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया था और कुछ दस्तावेजों को अतिरिक्त के रूप में चिह्नित किया गया था। अपीलार्थी की शिकायत थी कि मुख्य परीक्षा के दौरान, पी. डब्ल्यू. 18 द्वारा टी. आई. पी. का संचालन करने वाले एक अधिकृत अधिकारी के रूप में एक गलत संस्करण से बात की गई थी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष उपरोक्त विस्तार के साथ उसका सामना करने में विफल रहा। 8 या अस्पष्टता के किसी भी स्रोत को दूर करने के लिए गलत बयान का खंडन करना जो अन्यथा अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित करेगा।अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में पीडब्लू18 की त्रुटि को ठीक करने और अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त के रूप में चिह्नित दस्तावेज़ के साथ उसका सामना करने के लिए विशेष लोक अभियोजक से संपर्क किया। 8.लोक अभियोजक ने कोई कदम नहीं उठाया, अपीलार्थी ने पी. डब्ल्यू. 18 को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन के साथ ट्रायल जज का रुख किया।विचारण न्यायाधीश ने विचारणीयता के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि ऐसा आवेदन पीड़ित के कहने पर दायर नहीं किया जा सकता था।उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए कहा कि सूचना देने वाली की भूमिका सीमित है और वह गवाहों को वापस बुलाने के लिए आवेदन दायर करने के लिए तैयार नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने धारा 301 के प्रावधानों की जांच की।धारा 301 नीचे निकाली गई हैः

301. लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति।—(1) लोक अभियोजक या किसी मामले का प्रभारी सहायक लोक अभियोजक किसी भी न्यायालय के समक्ष बिना किसी लिखित प्राधिकरण के उपस्थित हो सकता है और अभिवचन कर सकता है जिसमें वह मामला जांच, परीक्षण या अपील के अधीन है।

एफ.

(2) यदि ऐसे किसी मामले में कोई निजी व्यक्ति किसी वकील को किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का निर्देश देता है, तो मामले का प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा, और इस प्रकार निर्देशित वकील लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत कार्य करेगा।

जी.

12 (2013) 16 एससीसी 173

एच.

13 ‘‘ टिप "ए"

161

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

अभियोजक, और न्यायालय की अनुमति से, मामले में साक्ष्य बंद होने के बाद लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है।23. न्यायालय ने टिप्पणी कीः

‘‘19.आपराधिक न्यायशास्त्र में, जबकि अपराध समाज के खिलाफ है, यह दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ित है जो वास्तविक पीड़ित है और इसलिए, राज्य और अभियोजन पक्ष के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाए।यह न्यायालय का कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है कि वह किसी आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान जीवित रहे और सतर्क रहे और यह सुनिश्चित करे कि कानून के अनुसार दर्ज साक्ष्य उसके सामने रखी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रतिबिंबित हो।यह भी कहा जा सकता है कि उस प्रक्रिया में न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए और ऐसे समय में जब अभियोजन पक्ष या तो जानबूझकर या अनजाने में किसी पक्ष के मामले का समर्थन करने या पूर्वाग्रह करने के उद्देश्य से किसी भी गवाह का एक उल्लेखनीय साक्ष्य या एक विशिष्ट बयान सामने लाने में चूक करता है, तो उसे हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करना चाहिए और अभियोजन पक्ष को स्थिति स्पष्ट करने या अपने दम पर कार्य करने और कार्यवाही का रिकॉर्ड सीधा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।ऐसी स्थितियों में न तो अभियोजन पक्ष और न ही न्यायालय को मूक दर्शक बने रहना चाहिए।जैसे कि वर्तमान मामले में

जहां एक गवाह द्वारा अपने स्वयं के रिकॉर्ड के विपरीत गलत बयान दिया गया है और अभियोजन पक्ष उस समय या बाद में स्थिति पर ध्यान देने में विफल रहा जब इसे प्रकाश में लाया गया था और जिसके बाद भी अभियोजन पक्ष चुप रहा, न्यायालय को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे

बी.

सी.

डी.

ई.

स्थिति उचित रूप से।दंड प्रक्रिया संहिता की पूरी योजना में अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध से निपटने के लिए पूर्ण प्रमाण प्रणाली की परिकल्पना की गई है और इस तरह यह सुनिश्चित किया गया है कि दोषी न भागें और न ही निर्दोष व्यक्ति सुरक्षित रहे।

एफ.

दंडित किया।उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ**,** हम महसूस करते हैं कि मामले में शामिल वर्तमान मुद्दे से निपटा जाना चाहिए।

(बल दिया गया)

24. विचारण न्यायालय ने कहा कि हालांकि यह सच है कि धारा 301 आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के निजी व्यक्ति के अधिकार पर सीमाएं लगाती है, फिर भी धारा 311 निचली विचारण न्यायालय को एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए गवाहों को बुलाने का अधिकार देती है।न्यायालय ने इस संदर्भ में कहाः

जी.

एच.

‘‘21 ...इसलिए, धारा 301 और 311 को एक साथ पढ़ने पर ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहना होगा कि निचली न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि क्या न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए धारा 311 का आह्वान आवश्यक था।दूसरे शब्दों में, भले ही विचारण न्यायालय के विचार में धारा 301 (2) का आह्वान अनुज्ञेय नहीं था, पीडब्लू-18 द्वारा

प्रस्तुत विसंगत साक्ष्य को उसके संज्ञान में लाया गया था और धारा 311 को लागू करने की गुंजाइश की जांच की जानी चाहिए थी और स्थिति को सही किया जाना चाहिए था।दुर्भाग्य से, जैसा कि पहले कहा गया है, निचली न्यायालय वास्तव में पीडब्लू-18 को वापस लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत उसे प्रदान की गई व्यापक शक्तियों पर भरोसा किए बिना अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने में बहुत जल्दबाजी में थी और यह सुनिश्चित कर रही थी कि किसी अन्य तरीके से, किसी गंभीर अपराध की पीड़ित द्वारा व्यक्त की गई शिकायत का निवारण किया जा सकता है।इस संदर्भ में, अपीलार्थी के वकील द्वारा निर्भर किए गए कुछ निर्णयों का संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है।25. इसके अलावा, न्यायालय ने पहले के फैसलों पर भरोसा करते हुए

बी.

सी.

जे. के. इंटरनेशनल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली की सरकार) 14, ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य 15, मनु शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 16, मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ 17, राजेंद्र प्रसाद बनाम मादक पदार्थ प्रकोष्ठ 18 ने नोट कियाः

डी.

‘‘31 ...आपराधिक न्यायालय मूक दर्शक नहीं रह सकती।इसे खेलने के लिए एक सहभागी भूमिका मिली है और धारा 311 सी. आर. पी. सी. के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत भारी शक्तियों के साथ निवेश किया गया है, एक निचली न्यायालय को वर्तमान जैसी स्थिति में जहां यह न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि अभि. साक्षी 18 के साक्ष्य में एक स्पष्ट विरोधाभास, जो एक वैधानिक प्राधिकारी था और जिसकी उपस्थिति में परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई थी, जो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट भी है, को जनहित में इस अवसर पर उठना चाहिए था और उक्त गवाह को उपयुक्त प्रश्न या न्यायालय के प्रश्न को उक्त गवाह के सामने रखने के लिए लोक अभियोजक को आगे के निर्देश के साथ धारा 311 सी. आर. पी. सी. का आह्वान करके स्थिति को सुधारना चाहिए था और इस प्रकार स्पष्ट त्रुटि को ठीक करना चाहिए था।यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली विचारण न्यायालय इसकी प्रकृति के बारे में वास्तविकताओं को जीवित करने में बुरी तरह विफल रही।

ई.

एफ.

जी.

14 (2001) 3 एससीसी 462 15 (2004) 4 एससीसी 158 16 (2010) 6 एससीसी 1

17 (1991) पूरक (1) एस. सी. सी. 271 18 (1999) 6 एस. सी. सी. 110 ए

एच.

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

सबूत जो दर्ज किया जा रहा था और अभि. साक्षी 18 के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग में गंभीर दोष और त्रुटि को नोट करने के अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहा।

26. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के प्रावधानों के आधार पर दूसरे, तीसरे और छठे उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति में सार का अभाव है।धारा 301 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि लोक अभियोजक या किसी मामले का प्रभारी सहायक लोक अभियोजक किसी भी न्यायालय के समक्ष लिखित प्राधिकरण के बिना पेश हो सकता है जिसमें मामला जांच, परीक्षण या अपील के अधीन है।धारा 301 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि यदि ऐसा कोई मामला, कोई निजी व्यक्ति किसी वकील को किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का निर्देश देता है, तो मामले का प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा, और इस तरह से निर्देश दिया गया वकील लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत कार्य करेगा, और मामले में साक्ष्य बंद होने के बाद न्यायालय की अनुमति से लिखित दलीलें प्रस्तुत कर सकता है।27. वर्तमान मामले में, गवाह को बुलाने और डिकोडिंग रजिस्टर पेश करने के लिए राज्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, धारा 301 में निहित बाधा रास्ते में नहीं आती है।28. यह स्पष्ट करने के बाद कि धारा 301 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होता है और अपीलार्थी इस अपील को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, अब हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 की जांच करते हैं। धारा 311 में प्रावधान है कि न्यायालय "कर सकता है":(i) किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाना या उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करना, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है; और

बी.

सी.

डी.

ई.

(ii) किसी भी व्यक्ति को याद करें और फिर से जाँच करें जिसकी पहले ही जाँच की जा चुकी है।

एफ.

इस शक्ति का प्रयोग सी. आर. पी. सी. के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है। धारा 311 के उत्तरार्द्ध भाग में कहा गया है कि न्यायालय "ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और जांच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से पूछताछ करेगा यदि न्यायालय के समक्ष उसका साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए

आवश्यक प्रतीत होता है।"धारा 311 में न्यायालय को व्यापक रूप से शक्ति प्रदान की गई है। सत्य की खोज में सहायता करने के लिए क़ानून के इरादे को प्राप्त करने के लिए वैधानिक प्रावधान को उद्देश्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए।29. वैधानिक प्रावधान का पहला भाग जो "हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, यह अभिनिर्धारित करता है कि शक्ति का प्रयोग जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है।प्रावधान के बाद के भाग में न्यायालय द्वारा एक गवाह को वापस बुलाने का आदेश दिया गया है क्योंकि यह उपयोग करता है

जी.

एच.

अभिव्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाएगी और जांच करेगी या वापस बुलाएगी और फिर से जांच करेगी यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।जिस व्यक्ति की जांच की जानी है, उसके साक्ष्य की अनिवार्यता के साथ-साथ मामले के न्यायसंगत निर्णय की आवश्यकता एक कसौटी है जो न्यायालय के निर्णय का मार्गदर्शन करती है।वैधानिक प्रावधान का पहला भाग विवेकाधीन है जबकि दूसरा भाग अनिवार्य है।30. मोहनलाल शामजी सोनी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 540 के समान सामग्री प्रावधानों पर विचार करते हुए कहाः

बी.

‘‘16.धारा 540 का दूसरा भाग, जैसा कि इंगित किया गया है, यद्यपि न्यायालय पर किसी भी गवाह को बुलाने या वापस बुलाने और फिर से जाँच करने का दायित्व अधिरोपित करता है और निर्धारित एकमात्र शर्त यह है कि प्राप्त करने के लिए माँगा गया साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक होना चाहिए।जब कार्यवाही का कोई भी पक्ष कुछ साक्ष्य लिए जाने की वांछनीयता की ओर इशारा करता है, तो न्यायालय को इस प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है-या तो विवेकाधीन या अनिवार्य-प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह देखते हुए कि इस प्रावधान में अंतर्निहित सबसे सर्वोपरि सिद्धांत न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों का उचित प्रमाण खोजना या प्राप्त करना है।’’ न्यायमूर्ति एस रत्नवेल पांडियन ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि शक्ति व्यापक संभव शर्तों में निहित है और इसका उपयोग किस स्तर पर किया जा सकता है या इसके प्रयोग के तरीके के संबंध में कोई सीमा नहीं है।यह केवल इस सिद्धांत द्वारा सीमित है कि

"प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य को सभी वैध तरीकों से सच्चाई तक पहुँचकर मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए।'' इस संदर्भ में न्यायालय ने कहाः

सी.

डी.

ई.

एफ.

''18 ...इसलिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा की सहायता का उपयोग केवल प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने या मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए ऐसे तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए और इसका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से क्योंकि शक्ति का कोई भी अनुचित या मनमौजी प्रयोग अवांछनीय परिणाम दे सकता है।इसके अलावा यह अनिवार्य है कि इस धारा के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय द्वारा उचित सावधानी बरती जानी चाहिए और इसका उपयोग अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष द्वारा या अभियुक्त के नुकसान के लिए या गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

165

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

अभियुक्त के बचाव के लिए या प्रतिद्वंद्वी पक्ष को अनुचित लाभ देने के लिए और अतिरिक्त साक्ष्य को पुनः विचारण के लिए या किसी भी पक्ष के खिलाफ मामले की प्रकृति को बदलने के लिए एक भेष के रूप में प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।

31. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से प्राप्त स्थिति का सारांश, अर्थात् रामेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 19

बी.

डब्ल्यू. बी. वी.तुलसीदास मुंधरा **20,** जमातराज केवलजी गोवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य **21,** मसाल्ती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **22,** राजेश्वर प्रसाद मिश्रा बनाम डब्ल्यू. बी. **23** और आर. बी. मिथानी बनाम महाराष्ट्र राज्य **24,**

न्यायालय ने कहाः''27.उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से जो कानून का सिद्धांत उभरता है, वह यह है कि आपराधिक न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को

गवाह के रूप में बुलाने या किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुलाने और फिर से जांच करने की पर्याप्त शक्ति है, भले ही दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद हों और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से स्थिति की अनिवार्यता से निर्धारित होना चाहिए, और निष्पक्षता और अच्छी समझ ही एकमात्र सुरक्षित मार्गदर्शक प्रतीत होती है और यह कि केवल न्याय की आवश्यकताएं किसी भी व्यक्ति की परीक्षा का आदेश देती हैं जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।''

सी.

डी.

32. न्यायालय की शक्ति साक्ष्य को बंद करने से बाधित नहीं होती है।इसलिए, उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि धारा 311 के तहत व्यापक शक्तियों को न्याय की आवश्यकता द्वारा नियंत्रित किया जाना है।जहाँ भी न्यायालय को लगता है कि मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए कोई भी सबूत आवश्यक है, वहाँ शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।वैधानिक प्रावधान इस बात पर जोर देता है कि न्यायालय न्याय के पटरी से उतरने में एक असहाय दर्शक नहीं है।इसके विपरीत, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है कि न्याय की प्राप्ति में सहायता के रूप में सत्य की खोज का कारण प्रकट हो।

ई.

एफ.

33. सी. आर. पी. सी. की धारा 91 अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी न्यायालय को उस व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है जिसके कब्जे या शक्ति में कोई दस्तावेज़ या चीज़ माना जाता है, जहां वह उक्त दस्तावेज़ को पेश करने पर विचार करता है।

जी.

19 (1978) 2 एस. सी. सी. 518 20 (1963) सप्लीमेंट 1 एस. सी. आर. 21 (1967) 3 एस. सी. आर. 415 22 (1964) 8 एस. सी. आर. 133 23 (1966) 1 एस. सी. आर. 178 24 (1971) 1 एस. सी. सी. 523

एच.

या सी. आर. पी. सी. के तहत किसी भी जांच, जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य से आवश्यक या वांछनीय चीज।

34. धारा 91 सी. आर. पी. सी. के अध्याय VII का हिस्सा है जिसका शीर्षक है "चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रियाएँ"।"मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत" शीर्षक वाले दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVI में धारा 207 शामिल है जो किसी भी मामले में आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करने का प्रावधान करती है जहां पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की गई है।25 दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।

बी.

35. वर्तमान मामले में, डिकोडिंग रजिस्टरों के उत्पादन के लिए अभियोजन पक्ष का आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के प्रावधानों से संबंधित है। डिकोडिंग रजिस्टरों को उन सेलुलर कंपनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्तुत करने की मांग की जाती है जिनकी हिरासत या कब्जे में वे पाए जाते हैं।डिकोडिंग रजिस्टर अभियुक्त के स्थान और सेल फोन टावर के बीच सह-संबंध स्थापित करने के लिए सबूत का एक प्रासंगिक टुकड़ा हैं।आवेदन को खारिज करने में उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के साथ जिन कारणों का विचार किया गया, वे एक ओर धारा 91 और दूसरी ओर धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति के बाहर हैं।धारा 91 के तहत किसी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ को पेश करने के लिए समन जारी किया जा सकता है जहां न्यायालय को पता चलता है कि

सी.

डी.

ई.

25 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207

207. अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्रदान करें।किसी भी मामले में जहां पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की गई है, मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के अभियुक्त को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति मुफ्त में प्रस्तुत करेगाः- ((i) पुलिस रिपोर्ट;

((ख) धारा 154 के अधीन अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट।

एफ.

((ग) धारा 161 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए उन सभी व्यक्तियों के बयान, जिनसे अभियोजन पक्ष अपने गवाह के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है, जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उप-धारा (6) के तहत इस तरह के बहिष्कार का अनुरोध किया गया है।

((iv) धारा 164 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान और बयान, यदि कोई हों;

(v) धारा 173 की उप-धारा (5) के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक उद्धरणःबशर्ते कि मजिस्ट्रेट, खंड (iii) में निर्दिष्ट बयान के किसी ऐसे हिस्से को देखने के बाद और अनुरोध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, निर्देश दे सकता है कि बयान के उस हिस्से या उसके ऐसे हिस्से की एक प्रति जो मजिस्ट्रेट उचित समझे, अभियुक्त को प्रस्तुत की जाएगीःबशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशाल है, तो वह अभियुक्त को उसकी

एक प्रति प्रस्तुत करने के बजाय यह निर्देश देगा कि उसे केवल व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय में वकील के माध्यम से इसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

जी.

एच.

167

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

सी. आर. पी. सी. के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य से दस्तावेज़ या चीज़ का होना आवश्यक या वांछनीय है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, धारा 311 के तहत गवाह को बुलाने की शक्ति इस शर्त पर दी गई है कि जिस व्यक्ति को बुलाने की मांग की गई है, उसका साक्ष्य न्यायालय को मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

बी.

36. पीडब्लू 33,41,43 और 48, जो आइडिया, एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन के नोडल अधिकारी थे, उनकी पहले ही जांच की जा चुकी है।पीडब्लू-41 की जाँच के दौरान, एयरटेल के नोडल अधिकारी, गवाह ने जाँच के दौरान विशेष रूप से बयान दिया किः

‘‘2.मोबाइल नंबर XXXXXXX का कॉल विवरण, जिसमें 134 पृष्ठ हैं, प्रदर्शनी पी-104 है, मैंने कॉल का वही विवरण पुलिस को भेजा।उसी के प्रत्येक पृष्ठ पर भारती एयरटेल की मुहर है। कॉल विवरण में ग्राहक द्वारा की गई/भेजी गई और प्राप्त की गई कॉल और लघु संदेश सेवाओं का तिथि और समय के अनुसार विवरण होता है।

सी.

इसके अतिरिक्त, मोबाइल नंबर का स्थान कॉल या संदेश के समय के साथ कोड नंबर में उपलब्ध है जिसके लिए कॉल का विवरण प्रदान किया जाता है।निश्चित समय में मोबाइल नंबर द्वारा की गई कॉल का स्थान कोड के साथ दिखाया गया है, मैं आज कोड देखकर स्थान का नाम नहीं बता सकता।उसी को डिकोड करने के बाद स्थान बताया जा सकता है।हमारे पास स्थान के लिए कोडिंग चार्ट है, उसी स्थान को देखकर शुरू किया जा सकता है।मेरे पास उपरोक्त चार्ट नहीं है

डी.

ई.

मेरे साथ।उपरोक्त चार्ट कार्यालय में उपलब्ध है।

(जोर दिया गया**)**

37. पी. डब्ल्यू.-41 के उपरोक्त कथन से डिकोडिंग रजिस्टर की प्रासंगिकता स्पष्ट रूप से सामने आती है।इसलिए, अभियोजन पक्ष के डिकोडिंग रजिस्टर को पेश करने के प्रयास में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी, जो कि एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण साक्ष्य है।धारा 311 के प्रावधानों के संदर्भ में, मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए डिकोडिंग रजिस्टर पेश करने के उद्देश्य से गवाह को बुलाना आवश्यक था।

एफ.

जी.

38. धारा 311 की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर विचार करने के बाद, हम उत्तरदाताओं की इस आपत्ति पर विचार करते हैं कि आवेदन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे अभियोजन पक्ष के मामले की खामियों को पूरा किया जा सकेगा।हालाँकि, उक्त कारण भी धारा 311 के तहत आवेदन की अनुमति देने के लिए एक पूर्ण अवरोध नहीं हो सकता है।

एच.

39. ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख (5) बनाम राज्य के निर्णय में

गुजरात 26, जिसे हाल ही में गोदरेज पैसिफिक टेक में दोहराया गया था।लिमिटेड वी.27, न्यायालय ने विशेष रूप से इस आपत्ति पर विचार किया और कहा कि धारा 311 के तहत एक आवेदन को अनुमति देने के कारण खामियों को भरना केवल एक सहायक कारक है और आवेदन का न्यायालय का निर्धारण केवल साक्ष्य की अनिवार्यता के परीक्षण पर आधारित होना चाहिए।इसमें कहा गया है किः

बी.

‘‘28.संहिता के प्रावधानों के तहत न्यायालय को अभियोजन या बचाव पक्ष को अपने पक्ष के किसी विशेष गवाह या गवाह से पूछताछ करने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है।यह पार्टियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।लेकिन साक्ष्य का वजन करते हुए, न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दे सकती है कि सबसे अच्छा उपलब्ध साक्ष्य नहीं दिया गया है, और एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है।न्यायालय को अक्सर पक्षों द्वारा लगाए गए इंटरसेप्ट किए गए आरोपों या साक्ष्य में प्राप्त तथ्यों से अनिर्णायक निष्कर्ष पर निर्भर रहना होगा।ऐसे मामलों में, न्यायालय को दूसरे भाग के तहत कार्य करना पड़ता है

सी.

अनुभाग।कभी-कभी न्यायालय द्वारा निर्देशित गवाहों की जाँच के परिणामस्वरूप "खामियों को भरना" माना जा सकता है।यह विशुद्ध रूप से एक सहायक कारक है और नहीं कर सकते

डी.

ध्यान में रखा जाए।नया साक्ष्य आवश्यक है या नहीं, यह निश्चित रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, और इसका निर्धारण पीठासीन न्यायाधीश द्वारा किया जाना है।

ई.

(जोर दिया गया**)**

40. अभियुक्त का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित है।हालांकि, मीना ललिता बरुआ (ऊपर) मामले में, राजेंद्र प्रसाद (ऊपर) को दोहराते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह आपराधिक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियोजन पक्ष को न्याय के हित में किसी त्रुटि को सुधारने की अनुमति दे।राजेन्द्र प्रसाद (ऊपर) में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था किः

एफ.

''8.अभियोजन पक्ष में कमी को अभियोजन मामले के मैट्रिक्स में अंतर्निहित कमजोरी या एक गुप्त दरार के रूप में समझा जाना चाहिए।इसका लाभ आम तौर पर मामले के मुकदमे में आरोपी को मिलना चाहिए, लेकिन अभियोजन पक्ष के प्रबंधन में एक निरीक्षण को अपूरणीय कमी के रूप में नहीं माना जा सकता है।मुकदमे में कोई भी पक्षकार ऐसा नहीं कर सकता है

जी.

त्रुटियों को सुधारने से रोक दिया जाए।यदि उचित प्रमाण है।

26 (2006) 3 एससीसी 374 27 (2008) 11 एससीसी 108 ए

एच.

किसी भी असावधानी के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था या कोई प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी**,** न्यायालय को ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति देने के लिए उदार होना चाहिए।

आखिरकार, आपराधिक न्यायालय का कार्य आपराधिक न्याय का प्रशासन है और न कि पक्षों द्वारा की गई त्रुटियों को गिनना या यह पता लगाना और घोषित करना कि पक्षों में से किसने बेहतर प्रदर्शन किया।''

बी.

(जोर दिया गया**)**

वर्तमान मामले में, पीडब्लू-41 की जांच में डिकोडिंग रजिस्टरों का महत्व उठाया गया था। तदनुसार, डिकोडिंग रजिस्टर केवल कॉल विवरण के रूप में मौजूदा साक्ष्य की सराहना करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज हैं जो पहले से ही रिकॉर्ड में हैं, लेकिन आरोपी के स्थान को इंगित करने के लिए कोड का उपयोग करते हैं, एक महत्वपूर्ण विवरण, जिसे केवल डिकोडिंग रजिस्टरों के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है, निष्पक्ष मुकदमे के लिए आरोपी का अधिकार पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है।डिकोडिंग रजिस्टरों का उत्पादन प्रासंगिक सामग्री होने की आवश्यकता में फिट बैठता है जिसे अनजाने में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।

सी.

डी.

41. अंत में, हम उस चरण के बारे में उत्तरदाताओं की आपत्ति पर भी संक्षेप में चर्चा करते हैं जिस पर धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया गया था।प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले स्वपन कुमार (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि आवेदन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह देर से किया गया है।स्वपन कुमार (ऊपर) मामले में न्यायालय ने कहाः

ई.

‘‘11.यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।शक्ति का प्रयोग केवल मजबूत और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।न्यायालय के पास इस धारा के तहत न्याय के हित में आवश्यक पुनः परीक्षा या आगे की जांच के लिए गवाहों को वापस बुलाने की व्यापक शक्ति है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय का विचार है कि आवेदन कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में दायर किया गया है।

एफ.

जी.

12. जहां अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बहुत पहले बंद कर दिया गया है और गवाह से पहले पूछताछ न करने के कारण संतोषजनक नहीं हैं, वहां गवाह को देर से बुलाने से आरोपी के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा होगा और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इसी तरह, न्यायालय को इस प्रावधान के तहत गवाह को वापस बुलाने के लिए लगातार आवेदन दायर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।''

वर्तमान अपील में, यह तर्क कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद आवेदन दायर किया गया था, स्पष्ट रूप से गलत है।जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का समापन डिकोडिंग रजिस्टर को पेश करने और धारा 311 के तहत गवाह को बुलाने के आवेदन को खारिज करने के बाद हुआ।हालाँकि आवेदन को खारिज करना और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करना दोनों 13 नवंबर 2021 को हुए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन लगभग आठ महीने पहले 15 मार्च 2021 को दायर किया गया था।वास्तव में, अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह, राजेश कुमार सिंह को भी उसी दिन जांच और जिरह के बाद रिहा कर दिया गया था, जैसा कि निचली विचारण न्यायालय के 13 नवंबर 2021 के आदेश में दर्ज किया गया था।

बी.

सी.

42. सी. आर. पी. सी. की धारा 311 के संदर्भ में न्यायालय के पास किसी भी स्तर पर किसी भी भौतिक गवाह को बुलाने और जांच करने या वापस बुलाने और फिर से जांच करने की व्यापक और पूर्ण शक्ति निहित है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करना एक पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने अपीलीय स्तर पर धारा 391 सी. आर. पी. सी. के तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रार्थनाओं पर विचार करते हुए, धारा 311 सी. आर. पी. सी. के तहत गवाहों की जांच के लिए एक प्रार्थना के साथ न्यायालय की भूमिका को निम्नलिखित शब्दों में समझायाः

डी.

ई.

''43.अदालतों को मुकदमे में सहभागी भूमिका निभानी होती है।गवाहों द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए उनसे टेप रिकॉर्डर होने की उम्मीद नहीं की जाती है। संहिता की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर सभी आवश्यक

सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए विशाल और व्यापक शक्तियां प्रदान करती है।उन्हें करना पड़ता है।

एफ.

न्याय की सहायता के लिए कार्यवाही की निगरानी इस तरह से करें कि कुछ ऐसा**,** जो प्रासंगिक नहीं है**,** अनावश्यक रूप से रिकॉर्ड में नहीं लाया जाए।भले ही अभियोजक कुछ मायनों में लापरवाह हो**,** वह कार्यवाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है ताकि अंतिम उद्देश्य यानी सच्चाई तक पहुँचा जा सके।यह और अधिक आवश्यक हो जाता है जहां न्यायालय के पास यह मानने के कारण होते हैं कि अभियोजन एजेंसी या अभियोजक अपेक्षित तरीके से कार्य नहीं कर रहा है।न्यायालय ए पर इस तरह के गंभीर नुकसान या कर्तव्य की अवहेलना के लिए इच्छा से या आनंदपूर्वक अज्ञानी या अनजान होने का नाटक करने का जोखिम नहीं उठा सकता है।

जी.

एच.

171

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

अभियोजन एजेंसी का हिस्सा।अभियोजक जो करता है

निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करना और बचाव पक्ष के लिए एक वकील की तरह कार्य करना निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली के लिए एक दायित्व है, और अदालतें ऐसी अभियोजन एजेंसी के हाथों में भी नहीं खेल सकती हैं जो उदासीनता दिखा रही हैं या पूरी तरह से अलग होने का रवैया अपना रही हैं।

(जोर दिया गया**)** इसके अलावा**,** ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख **(5) (**ऊपर**)** में**,** न्यायालय

बी.

धारा 311 के तहत शक्तियों की सीमा को दोहराया और कहा किः‘‘27.संहिता की धारा 311 में अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि मूल्यवान साक्ष्य को अभिलेख पर लाने या दोनों पक्षों से जांचे गए गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने में किसी भी पक्ष की गलती के कारण न्याय की विफलता नहीं हो सकती है।द.

सी.

निर्धारक कारक यह है कि क्या यह न्याय के लिए आवश्यक है

मामले का निर्णय।यह धारा केवल अभियुक्त के लाभ के लिए सीमित नहीं है, और इस धारा के तहत गवाह को केवल इसलिए बुलाना न्यायालय की शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है, न कि अभियुक्त का।यह धारा एक सामान्य धारा है जो संहिता के तहत सभी कार्यवाही, पूछताछ और परीक्षणों पर लागू होती है और मजिस्ट्रेट को ऐसी कार्यवाही, परीक्षण या जांच के किसी भी चरण में किसी भी गवाह को समन जारी करने का अधिकार देती है।धारा 311 में -

डी.

ई.

महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति जो होती है वह "इस संहिता के तहत किसी भी जांच या मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर" होती है।यह है**,**

हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह धारा गवाहों को बुलाने पर न्यायालय को बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करती है, लेकिन प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग के लिए जितनी अधिक शक्ति उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है।

एफ.

(जोर दिया गया**)**

43. न्यायालय ने मोहनलाल शामजी सोनी (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत को दोहराते हुए धारा 311 के व्यापक दायरे पर जोर दिया जो किसी भी स्तर पर शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देता है और यह अभिनिर्धारित किया किः‘‘44.साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत न्यायालय की शक्ति एक तरह से संहिता की धारा 311 के तहत उसकी शक्ति के पूरक है। इस खंड में दो भाग होते हैं अर्थातः((i) न्यायालय को किसी भी स्तर पर गवाह से पूछताछ करने का विवेकाधिकार देना, और

जी.

एच.

((ii) अनिवार्य भाग जो न्यायालय को किसी गवाह की जाँच करने के लिए मजबूर करता है यदि उसका साक्ष्य न्यायालय के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।हालांकि

न्यायालय को दिया गया विवेकाधिकार बहुत व्यापक है, लेकिन बहुत चौड़ाई के लिए एक संबंधित सावधानी की आवश्यकता होती है।मोहनलाल बनाम भारत संघ में इस न्यायालय ने धारा 311 के दायरे और दायरे पर विचार करते हुए कहा है कि "कोई भी न्यायालय", "किसी भी स्तर पर", या "कोई भी जांच या मुकदमा या अन्य कार्यवाही", "कोई भी व्यक्ति" और "ऐसा कोई भी व्यक्ति" जैसे शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से बताता है कि धारा ने व्यापक-संभव शब्दों में व्यक्त किया है और किसी भी तरह से न्यायालय के विवेक को सीमित नहीं करता है।हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बहुत विस्तार के लिए एक संबंधित सावधानी की आवश्यकता है कि विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि न्याय की आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है और संहिता के प्रावधानों के साथ सावधानीपूर्वक न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

धारा का दूसरा भाग किसी भी विवेकाधिकार की अनुमति नहीं देता है**,** लेकिन न्यायालय को आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य और बाध्य करता है यदि प्राप्त किया जाने वाला नया साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक है**,** जो एक सक्रिय और सतर्क दिमाग के लिए "आवश्यक" है**,** न कि उस व्यक्ति के लिए जो त्याग करने या त्याग करने पर आमादा है। इस धारा का उद्देश्य न्यायालय को सच्चाई तक पहुंचने में सक्षम बनाना है**,** भले ही अभियोजन या बचाव पक्ष कुछ सबूत पेश करने में विफल रहा हो जो इसके लिए आवश्यक है।

डी.

मामले का न्यायसंगत और उचित निपटान।यदि न्यायालय को लगता है कि धारा 311 के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन केवल न्याय और जनहित के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, शक्ति का प्रयोग किया जाता है और साक्ष्य की जांच न तो अभियोजन पक्ष और न ही बचाव पक्ष की मदद के लिए की जाती है।यह एक न्यायसंगत निर्णय की सहायता में साक्ष्य प्राप्त करने और सच्चाई को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है।

ई.

एफ.

(जोर दिया गया**)**

कर्नेल सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसलों को दोहराते हुए।

एम**.** पी**.** राज्य **28,** पारस यादव बनाम बिहार राज्य **29,** राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य **30** और अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह **31** यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय अपील के चरण में भी हस्तक्षेप कर सकता हैः

जी.

28 (1995) 5 एससीसी 518 29 (1999) 2 एससीसी 126 30 (1998) 4 एससीसी 517 31 (2003) 2 एससीसी 518 ए

एच.

173

वर्शा गर्ग बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

‘‘64.इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों को निचली विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है और बरी करने के फैसले को बरकरार रखा गया है, लेकिन यदि बरी करना अप्रमाणित है और दूषित साक्ष्य, अनुरूप जांच, सिद्धांतहीन अभियोजक और निष्पक्ष परीक्षण और धमकी/आतंकित गवाहों के साक्ष्य पर आधारित है, तो यह कानून की नजर में कोई बरी नहीं है और तथाकथित निष्कर्षों को कोई पवित्रता या विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है।ऐसा लगता है कि यह सच्चाई का उपहास, कानूनी प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अदालतों के परिणामी निर्णयों के अलावा और कुछ नहीं है।इसलिए, इन अपीलों में हस्तक्षेप का आह्वान करने का पूरा औचित्य है।44. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय जो अपील में विवादित है, अस्थिर है।हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और विभिन्न मामलों में 8 अप्रैल 2022 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को अपास्त करना देते हैं।2021 का आपराधिक मामला संख्या 57152 के साथ-साथ द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इंदौर का आदेश दिनांक 13 नवंबर 2021 को 2016 के सत्र परीक्षण 227 में अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए।अभियोजन पक्ष द्वारा डिकोडिंग रजिस्टरों को पेश करने और उस उद्देश्य के लिए सेलुलर कंपनियों के गवाहों को बुलाने के लिए दायर आवेदन की अनुमति है।दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इंदौर को 31 अक्टूबर 2022 तक 2016 के सत्र परीक्षण संख्या 227 को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एस**.** एल**.** पी**. (**सी**.** आर**.** एल**.)** में **2022** की एम**.** ए**.** संख्या **1144 2022** का सं**. 2239**

45. आवेदन अभियुक्तों में से एक-मंगीलाल ठाकुर की ओर से दायर किया गया है-जिसे 6 मई 2022 को एसएलपी (सीआरएल) में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। उनकी

रिहाई की तारीख से तीस दिनों की अवधि के लिए 2022 का सं. 2239।अभियुक्त की निरंतर चिकित्सा स्थिति को देखते हुए, हम अंतरिम जमानत का विस्तार करना उचित और उचित समझते हैं जो इस न्यायालय के आदेश द्वारा समान नियमों और शर्तों के अधीन 31 अक्टूबर 2022 तक दी गई थी।

एफ.

46. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

एच.